न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 25 / 2022 राजस्व वाद

सुनील कुमार पुत्र श्री शांति लाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––– वादी

बनाम

1. अम्बा लाल पुत्र श्री नैनू बलाई आयु वयस्क निवासी– दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती उगमी देवी पत्नी श्री लेहरू लाल बलाई आयु वयस्क निवासी– दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी
3. श्री विनोद तिवाड़ी – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक– 12 / 04 / 2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1500 / 997 रकबा 0.057 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो वादी के नाम पर दर्ज है। जिसकी वादी ने उक्त आराजी व अन्य आराजियात

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:45:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 04/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 02 दो दिसम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो को होने पर माह दिसम्बर 2021 दो हजार इक्कीस मे प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 1500/997 रकबा 0.0578 हैक्टयर मे से पूर्वी मेड की तरफ 14 बाई 7 मीटर कुल 98 वर्गमीटर पर एवं प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा 14 बाई 11 वर्गमीटर कुल 154 वर्गमीटर पर कब्जा कर अपनी आराजी मे मिला दिया, जिससे दिनांक 12 बारह जनवरी 2022 दो हजार बाईस को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादी की आराजी नम्बर 1500/997 रकबा 0.0578 हैक्टयर मे से पूर्वी मेड की तरफ 14 बाई 7 मीटर कुल 98 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 01 एक का एवं 14 बाई 11 वर्गमीटर कुल 154 वर्गमीटर पर प्रतिवादी संख्या 02 दो कब्जा का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादी की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो का कोई हक अधिकार नही है। वादी ने दिनांक 18 अठारह फरवरी 2022 दो हजार बाईस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 साफ तौर इंकार कर दिया। इस कारण वादपत्र पेश किया गया व अन्त मे प्रार्थना दर्ज करते हुए सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1500/997 रकबा 0.0578 हैक्टयर के पूर्वी मेड की तरफ 14 बाई 7 मीटर कुल 98 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 01 एक का एवं 14 बाई 11 वर्गमीटर कुल 154 वर्गमीटर पर प्रतिवादी संख्या 02 दो के किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाने का निवेदन किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित हुए, आ... प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही...

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:45:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक ने सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1500/997 रकबा 0.0578 हैक्टयर के पूर्वी मेड की तरफ 14 बाई 7 मीटर कुल 98 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 01 एक का एवं 14 बाई 11 वर्गमीटर कुल 154 वर्गमीटर पर प्रतिवादी संख्या 02 दो के किये गये कब्जे पर कर रखे कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिकी जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12/04/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:45:26 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]पाल सिंह)
[illegible] कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 25/2022 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 आर.टि.एक्ट

सुनील कुमार पुत्र श्री शांति लाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
——— वादी

बनाम

1. अम्बा लाल पुत्र श्री नैनू बलाई आयु वयस्क निवासी– दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती उगमी देवी पत्नी श्री लेहरू लाल बलाई आयु वयस्क निवासी– दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 12/04/2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक ने सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1500/997 रकबा 0.0578 हैक्टयर के पूर्वी मेड की तरफ 14 बाई 7 मीटर कुल 98 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 01 एक का एवं 14 बाई 11 वर्गमीटर कुल 154 वर्गमीटर पर प्रतिवादी संख्या 02 दो के किये गये कब्जे पर कर रखे कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी करें । खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:45:26 IST
Reason: SelfAttested